निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 2008

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सरंक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अप्रावधानानुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विवाह प्रोत्साहन राशि योजना प्रारंभ की गई है।

विवाह प्रोत्साहन योजना में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सरंक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा – 2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले पात्र व्यक्तियों को रू. 25000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) प्रोत्साहन राशि तथा प्रशंसा पत्र दिया जाता है। यदि निःशक्त दम्पत्ति मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर विवाह करते है तो दम्पत्ति को रूपये 9000/– (रूपये नौ हजार मात्र) की सामग्री की पृथक से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता

निर्देशों के तहत शर्तों के अधीन किसी दम्पत्ति को प्रोत्साहन राशि देने के लिए निम्नलिखित शर्ते लागू होंगी–

1. दम्पत्ति भारत का नागरिक हो।
2. दम्पत्ति मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी हो या कम से कम पॉच वर्ष से मध्य प्रदेश में निवासरत् हो।
3. दम्पत्ति में से कोई भी सदस्य किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हो।
4. शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
5. दम्पत्ति का विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित गया हो।
6. दम्पत्ति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो।
7. दम्पत्ति में किसी एक सदस्य का कोई जीवित पति या पत्नि न हो और उनके उपर महिला उत्पीड़न या अन्य अपराधिक वाद न चल रहा हो।

प्रोत्साहन राशि की शर्ते

1. प्रोत्साहन राशि पात्र दम्पत्ति को संयुक्त रूप से देय होगी और यह राशि केवल एक बार ही देय होगी।
2. निर्देशों के अधीन प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले विवाहित दम्पत्ति में से किसी सदस्य द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन न्यायिक पृथक्करण/विवाह–विच्छेद या विवाह विघटन अथवा 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दम्पत्ति के वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं तो दम्पत्ति द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन की संपूर्ण राशि सरकार को वापिस करने के लिये उत्तरदायी होंगे और वह राशि भू–राजस्व की बकाया की भॉति वसूली योग्य होगी।
3. युवक के निःशक्त होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के निःशक्त होने पर सामान्य युवक से अथवा युवक–युवती दोनों के निःशक्त होने की स्थिति में विवाह करने पर रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) प्रोत्साहन राशि तथा प्रशंसा पत्र दिया जावेगा। यदि निःशक्त दम्पत्ति मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर विवाह करते हैं तो दम्पत्ति को पृथक से रूपये 9000/– (रूपये नौ हजार मात्र) की सामग्री देय होगी।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि

प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट ''एक'' में विहित प्रारूप में जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय को प्रस्तुत किया जावेगा जिसमें निम्न निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होगें–

1. सक्षम चिकित्सा मंडल द्वारा दम्पत्ति में से किसी एक अथवा दम्पत्ति में दोनों के निःशक्त होने पर दोनों सदस्यों को दिया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र।
2. विवाह संबंधी विवरण (स्थानीय विधायक/सांसद/राजपत्रित अधिकारी/सरपंच/अध्यक्ष जिला पंचायत/जनपद पंचायत/महापौर नगर निगम/अध्यक्ष नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा प्रमाणित)
3. आवेदक और उसकी पत्नी या पति द्वारा परिशिष्ट –दो में विहित प्रारूप में रूपये पचास के स्टाम्प पेपर (न्यायिक) पर हस्ताक्षरित शपथ–पत्र।

4. आवेदन पत्र पर वर तथा वधु के नवीनतम फोटोग्राफ उपर्युक्त कंडिका दो में उल्लेखित किसी भी एक पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर चस्पा करना होगें।

2. जिला संयुक्त संचाकल/उप संचालक सामाजिक न्याय कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र की आवश्यक समीक्षा करने के पश्चात् ऐसे दम्पत्ति को जिन्हें वह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र समझे आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपनी अनुशंसा के साथ जिला कलेक्टर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।

नोटः– मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ–3–36/2010/26–2 भोपाल दिनांक 21–9–2010 के द्वारा राज्य शासन ने योजना अंतर्गत राशि में बढ़ोत्तरी करते हुये यह राशि 25000/– के स्थान पर 50000/– कर दी है।

नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, नियम 2008 का चेक लिस्ट

विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता/पूर्ण जानकारी आवश्यक प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है

1. दम्पति भारत का नागरिक हो।
2. दम्पति मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी हो या कम से कम 5 (पांच) वर्ष से मध्य प्रदेश में निवासरत हो।
3. दम्पति में से कोई भी सदस्य किसी अपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया हो ।
4. शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
5. दम्पति का विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से निहित गया हो ।
6. दम्पति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो ।
7. दम्पति में किसी एक सदस्य का कोई जीवित पति या पत्नि न हो और उन पर महिला उत्पीड़न या अन्य अपराधिक वाद न चल रहा हो।
8. प्रोत्साहन राशि पात्र दम्पति को संयुक्त रूप से देय होगी और यह राशि केवल एक बार ही देय होगी।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि

1. प्रोत्साहन राशि के लिये आवेदन-पत्र परिशिष्ट ''एक'' में विहित प्रारूप में जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय को प्रस्तुत किया जावेगा जिसमें निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

    (1) सक्षम चिकित्सा मंडल द्वारा दम्पति मे से किसी एक अथवा दम्पति में दोनों के नि:शक्त होने पर दोनों सदस्यों को दिया गया नि:शक्तता प्रमाण-पत्र।

    (2) विवाह संबंधी विवरण (स्थानीय विधायक/सांसद/राजपत्रित अधिकारी/सरपंच/अध्यक्ष जिला पंचायत /जनपद पंचायत / महापौर नगर निगम/अध्यक्ष नगर निगम/पालिका/नगर पंचायत) द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

    (3) आवेदक और उसकी पत्नि या पति द्वारा परिशिष्ट दो में विहित प्रारूप में रुपये पचास के स्टाम्प पेपर (न्यायिक) पर हस्ताक्षरित शपत्र-पत्र।

    (4) आवेदन-पत्र पर तथा वधु के नवीनतम फोटोग्राफ उपर्युक्त कंडिका दो में उल्लेखित किसी भी एक पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर चस्पा करना होंगे।

परिशिष्ट "एक"

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय विभाग

दम्पति की विवाह संबंधी प्रमाणित फोटो

1. आवेदन का नाम
   (1) पति का नाम ....
   (2) पत्नि का नाम ....
2. विवाह के पूर्व का पूरा पता
   (1) पति का नाम ....
   (2) पत्नि का पता ....
3. दम्पति में से कौन निःशक्त है पति अथवा पत्नि अथवा दोनों उल्लेख करें तथा किस प्रकार की निःशक्तता से ग्रसित है उसका भी उल्लेख करें ....
4. राष्ट्रीयता, धर्म, जाति तथा उपजाति
   (1) पति ....
   (2) पत्नि ....
5. दम्पति की जन्मतिथि/आयु
   (1) पति ....
   (2) पत्नि ....
6. विवाह का विवरण :-
   (1) विवाह के समय आयु (क) पति ....
   (ख) पत्नि ....
   (2) विवाह सम्पन्न होने का दिनांक ....
   (3) विवाह का विस्तृत विवरण :- ....
   (क) क्या विवाह पंजीकृत हुआ है ? यदि हाँ तो पंजयीन क्रमांक तथा दिनांक एवं उस कार्यालय का नाम जहां विवाह पंजीकृत हुआ। ....
   (ख) विवाह किस धार्मिक रीति से सम्पन्न हुआ है ? इस संबंध में प्रमाण-साक्ष्य क्या है ? ....
   (ग) विवाह की वैधता को प्रमाणित करने लिए अन्य कोई साक्ष्य यदि हो। ....
   (घ) उन दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम तथा पते जिनकी उपस्थिति में विवाह सम्पन्न हुआ। ....
   (क) नाम तथा पता ....
   (ख) नाम तथा पता ....

7. व्यवसाय
   (1) पति ....
   (2) पत्नि ....

8. पति के पिता का नाम
   (1) उनका पता तथा व्यवसाय (यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अंतिम पता तथा व्यवसाय) ....
   (2) उनकी राष्ट्रीयता, धर्म जाति तथा उपजाति ....

9. पत्नि के पिता का नाम
   (1) उनका पता तथा व्यवसाय (यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अंतिम पता तथा व्यवसाय) ....
   (2) उनकी राष्ट्रीयता, धर्म जाति तथा उपजाति ....

10. मध्यप्रदेश राज्य में निवास की अवधि
   (1) पति ....
   (2) पत्नि ....

11. आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों का विवरण :-
   (1) नि:शक्तता प्रमाण-पत्र ....
   (2) आयु का प्रमाण-पत्र ....
   (3) निवास प्रमाण-पत्र ....
   (4) आय प्रमाण-पत्र ....
   (5) विवाह प्रमाण-पत्र ....

हम एतद् द्वारा सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि उपरोक्त तथ्य हमारी जानकारी अनुसार पूर्णत: सत्य एवं सही है तथा हमने नि:शक्त व्यक्ति से विवाह करने पर शासन द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि के निर्देशों को भांति-भांति समक्ष /पढ़ लिया है तथा हम उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे।

स्थान...................

दिनांक................

पत्नि के हस्ताक्षर

पति के हस्ताक्षर

परिशिष्ट - ''दो ''

करार विलेख (रुपये पचास के जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होगा)

हम (पति) ....पुत्र श्री ....
निवासी ....(2) पत्नि ....

हम एतद्द्वारा पति-पत्नि के रूप में रहने का सत्य निष्ठा से वचन देते हैं तथा संबंध-विच्छेद की स्थिति में प्रोत्साहन राशि की समस्त राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति मध्यप्रदेश शासन को वापिस करने के लिये हम संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

पति के हस्ताक्षर

पत्नि के हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर नाम तथा पता -

1.

2.

ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, केन्द्रीय जेल जबलपुर